ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व कार्य सचिवत थे :-

प्रधान

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री होशियार सिंह	01.04.2014 से 31-12-2015
2	श्रीमति फूला देवी	01-01-2016 से 22-01-2016
3	श्री रोशन लाल	23-01-2016 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री बालकृष्ण	01.04.2014 से 14.7.2016
2	श्रीमति सत्या देवी	15.7.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत पानवी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.17
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	8.35
3	7	क्रय सामग्री की भण्डारण प्रविष्टियां न करना	12.73
4	8	निर्माण कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	51.35
5	9	मोबाईल टावर शुल्क प्राप्त न करना	0.02

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2017 से 01.12.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 8/14, 6/15, 1/17 तथा 7/14, 5/15 व 9/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र०, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./63 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा यूको बैंक, शाखा भावनगर के ड्राफ्ट संख्या: 263632 दिनांक 02.12.2017 के अंतर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित की गई है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न पैरा **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 व 4.6** पर तथा माह वार आय-व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क, ख, ग, घ, ड. तथा च** पर दिया गया है :-

संकलित वितीय स्थिति :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1045899	2541523.00	3587422.00	2817084.00	770338.00
2015-16	770338	4076856.00	4847194.00	3915177.00	932017.00
2016-17	932017	7352962.80	8284979.80	6856433.50	1428546.30

4.1 अनुदान तथा स्व: स्त्रौत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-1	332843.00	305715.00	638558.00	307327.00	331231.00

5					
2015-16	331231.00	586499.00	917730.00	216218.00	701512.00
2016-17	701512.00	1272153.56	1973665.56	1300779.00	672886.56

रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष :- ₹672886.56

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110002766 में जमा ₹566484.00

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110002834 में जमा ₹106402.56

अन्तर : शून्य

4.2 मनरेगा :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	0	1219506	1219506	1217231	2275
2015-16	2275	2408789	2411064	2410349	715
2016-17	715	2235357	2236072	2236072	0

4.3 आइ. ए. वाइ. एण्ड आर. ए. वाइ. (IAY & RAY) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	163777	353852	517629	446250	71379
2015-16	71379	97586	168965	60000	108965
2016-17	108965	42302	151267	65899	85368

रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष ₹85368.00

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110002810 में जमा ₹55.00

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110017418 में जमा ₹41761.00

अन्तर : ₹43552

बैंक समाधान विवरणी

क्र. सं	विवरण	(+)	(-)
1	दिनांक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	85368	-
2	दिनांक 12.7.2016 को खाता संख्या: 14160110002810 से रू. 44481/- की राशि बी.डी.ओ. को हस्तांतरित की गई परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	–	44481

3	दिनांक 06-4-2016, 04-7-2016, 03-10-2016 व 05-1-2017 को बैंक खाता संख्या: 14160110002810 में जमा ब्याज की राशि रू.929/- (435+439+54+1) जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	929	-
4	दिनांक 31-3-2017 को बैंक शेष	-	41816
	कुल जोड़	**₹86297**	**₹86297**

4.4 तेरहवां एवं चौदहवां वित आयोग (13th & 14th FC) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	35306.00	100348.00	135654.00	–	135654.00
2015-16	135654.00	123936.00	259590.00	196090.00	63500.00
2016-17	63500.00	847555.24	911055.24	550265.00	360790.24

रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष ₹360790.24

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110002803 में जमा ₹360790.24

अन्तर : शून्य

4.5 लाडा (LADA) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1258.00	392517.00	393775.00	289640.00	104135.00
2015-16	104135.00	848633.00	952768.00	945960.00	6808.00
2016-17	6808.00	2953537.00	2960345.00	2703418.50	256926.50

रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष ₹256926.50

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110002797 में जमा ₹251494.50

अन्तर : ₹5432.00

बैंक समाधान विवरणी :-

क्र. सं	विवरण	(+)	(-)
1	दिनांक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	256926.50	–
2	दिनांक 03-11-2016 व 24-3-2017 को रोकड़ बही पृष्ठ 31 व 42 के अनुसार क्रमश: ₹900 व ₹5668 के कुल ₹6568 के चैक जारी किये गये परन्तु दिनांक 31-3-2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये	6568	–
3	दिनांक 06-4-2016, 04-7-2016, 03-10-2016 व 05-1-	–	12000

	2017 को बैंक खाता संख्या: 14160110002810 में जमा ब्याज की राशि ₹929 (435+439+54+1) जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया		
4	दिनांक 31-3-2017 को बैंक शेष	-	251494.50
	कुल जोड़ :	**263494.50**	**263494.50**

4.6 आइ. ड्ब्लयू. एम. पी.(IWMP) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	512715	169585	682300	556636	125664
2015-16	125664	11413	137077	86560	50517
2016-17	50517	2058	52575	-	52575

रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष ₹52575

दिनांक 31.03.2017 यूको बैंक, भाबानगर खाता संख्या:14160110009789 में जमा ₹52575

अन्तर : शून्य

4.7 रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था अर्थात वितीय वर्ष की समाप्ति पर पंचायत के पास उपलब्ध निधियों का बैंक अतिशेष सहित नकद अतिशेष का ब्यौरा रोकड़ बही में नही दर्शाया गया था जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना आवश्यक है । रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण आपत्तिजनक है । अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान सुनिश्चित किया जाये तथा पैरा 4.3 व 4.5 के अंतर्गत बैंक समाधान विवरण में दर्शाये गये अन्तर के कारणों पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख वसूली हेतु शेष:-

स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर/सम्पतिकर की मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था परन्तु सम्बंधित सचिव द्वारा अन्य अभिलेख अर्थात रोकड़ बही तथा परिवार रजिस्टर के आधार पर तैयार व उपलब्ध करवाई सूचना से विदित हुआ कि अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक गृहकर/सम्पतिकर की आंशिक वसूली की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाये व भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक गृहकर के रूप में ₹16520 वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	5400	5400	300	5100
2015-16	5100	5800	10900	400	10500
2016-17	10500	6020	16520	-	16520

6 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹8.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-**

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिक्ताएं प्रावधित हैं । व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-छ की पाद टिप्पणी-1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹835404 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

7 ₹12.73 लाख के क्रय सामग्री की भण्डारण प्रविष्टियां न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित हैं । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण मे पाया गया कि **"परिशिष्ट-छ की पाद टिप्पणी-2"** में दिये गये विवरणानुसार ₹1272839 के क्रय की गईं विविध वस्तुओं की भंडारण प्रविष्टियां नहीं की गईं जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का रख-रखाव नियमानुसार न होने के करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का लेखा- जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ।

8 **₹51.35 लाख के निर्माण कार्यों की वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जांच हेतु माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्योरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **"परिशिष्ट - छ पाद टिप्पणी-3"** में दर्शाये गये भुगतान ₹5134866 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक

जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

9 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.02 लाख वसूली हेतु शेष:-

मोबाईल टावर शुल्क सम्बंधित आय की जांच में पाया गया कि पंचायत एरिया में एयरटैल कम्पनी का एक ही टावर स्थापित है लेकिन पंचायत द्वारा इससे प्राप्त होने वाले वार्षिक शुल्क का मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था और न ही टावर की स्थापना की तिथि व अन्य सम्बंधित शर्तों का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे टावर शुल्क के रूप में देय व प्राप्त होने वाली राशि का सही आंकलन सम्भव नहीं हो पाया अतः अतिशीघ्र मोबाइल टावर शुल्क का मांग व संग्रहण रजिस्टर टावर की स्थापना से लेकर अब तक तैयार किया जाए तथा देय राशि की अतिशीघ्र वसूली की जाए सचिव द्वारा अन्य अभिलेख के आधार पर तैयार व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना से विदित हुआ कि वर्ष 2016-17 का शुल्क ₹2500 प्राप्त नहीं किया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है अतः इसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये ।

10 वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय- व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात मद वार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन-देन के अनुसार प्रविष्टियां की जायेंगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा । इस सार को बनाने का उद्देश्य आय -व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखना है । जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये ।

11 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्तत: हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जांच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपतिजनक भी है । अत: इस सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरांत ही अदायगी सुनिश्चित की जाये ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भंडार का प्रत्येक छ: महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस

संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है । समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है ।

14 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(ix) 8/2018 खण्ड–1–2796–2799 दिनांक23.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881